"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 नवम्बर 2008—कार्तिक 30, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं टी. अंजैया कुमार आत्मज श्री टी. चन्द्रयया, निवासी-जोन-2 राजीव नगर, सेक्टर 11, इलेक्ट्रिक पोल नम्बर 20/9 के पास भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर टी. अंजन कुमार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे टी. अंजन कुमार आत्मज श्री टी. चन्द्रयया के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
टी. अंजैया कुमार आत्मज श्री टी. चन्द्रयया निवासी-जोन-2 राजीव नगर सेक्टर-11, इलेक्ट्रिक पोल नं. 20/9 के पास भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	टी. अंजन कुमार आत्मज श्री टी. चन्द्रयया निवासी-जोन-2 राजीव नगर सेक्टर-11, इलेक्ट्रिक पोल नं. 20/9 के पास भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं विश्राम ध्रुव पिता स्वर्गीय रामप्रसाद ध्रुव, निवासी-जीनत ग्रीन विहार, प्लाट नम्बर 6, हेमू नगर, वार्ड नं. 38, बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर विक्रम सिंह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे विक्रम सिंह पिता स्वर्गीय रामप्रसाद ध्रुव के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
विश्राम ध्रुव	विक्रम सिंह
पिता-स्वर्गीय रामप्रसाद ध्रुव	पिता-स्वर्गीय रामप्रसाद ध्रुव
निवासी-जीनत ग्रीन विहार, प्लाट नं. 6	निवासी-जीनत ग्रीन विहार, प्लाट नं. 6
हेमू नगर, वार्ड नं. 38	हेमू नगर, वार्ड नं. 38
बिलासपुर (छ. ग.)	बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सुनील कुमार राऊता आत्मज श्री उपेन्द्र राऊता, उम्र 35 वर्ष, निवासी-क्वाटर नं. 1-सी, सेक्टर क्रास स्ट्रीट- 05, हास्पिटल सेक्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने पुत्र शिवराम शुभ्रांसु राऊत का नाम परिवर्तित कर सोहम राऊत रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को सोहम राऊत आत्मज श्री सुनील कुमार राऊता के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
शिवराम शुभ्रांसु राऊत	सोहम राऊत
आत्मज श्री सुनील कुमार राऊता	आत्मज श्री सुनील कुमार राऊता
निवासी-क्वाटर नं.1-सी	निवासी-क्वाटर नं.1-सी
सेक्टर क्रास स्ट्रीट-05	सेक्टर क्रास स्ट्रीट-05
हास्पिटल सेक्टर भिलाई	हास्पिटल सेक्टर भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सुनील कुमार राऊता आत्मज श्री उपेन्द्र राऊता, उम्र 35 वर्ष, निवासी-क्वाटर नं. 1-सी, सेक्टर क्रास स्ट्रीट- 05, हास्पिटल सेक्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर सुनील कुमार राऊत रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सुनील कुमार राऊत आत्मज श्री उपेन्द्र राऊता के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
सुनील कुमार राऊता	सुनील कुमार राऊत
आत्मज श्री उपेन्द्र राऊता	आत्मज श्री उपेन्द्र राऊता
निवासी-क्वाटर नं.1-सी	निवासी-क्वाटर नं.1-सी
सेक्टर क्रास स्ट्रीट-05	सेक्टर क्रास स्ट्रीट-05
हास्पिटल सेक्टर भिलाई	हास्पिटल सेक्टर भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बिलासपुर, दिनांक 13 अक्टूम्बर 2008

प्रारूप-चार
[नियम 5(1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) एवं छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम (1) के अंतर्गत]

क्रमांक 20/अ. वि. अ./वा-1/08.— आवेदक अध्यक्ष, धामाल्ड चेरिटेबल ट्रस्ट, निवासी विनोबा नगर, बिलासपुर, छ. ग. द्वारा "धामाल्ड चेरिटेबल ट्रस्ट" स्थान विनोबा नगर बिलासपुर को छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत लोक न्यास के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा विचार में लिया जावेगा. इस संबंध में कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में हित रखता है और कोई आपत्ति/सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा मेरे समक्ष में स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम और पता	:	धामाल्ड चेरिटेबल ट्रस्ट स्थान-विनोबा नगर, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

प्रमोद शर्मा,
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, जशपुर (छ. ग.)

जशपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2008

रा. प्र. क्र. 01 बी-113/2007-08

आवेदक

टी. एन. उपाध्याय
मुख्य प्रबंध ट्रस्टी
गायत्री परिवार ट्रस्ट, जशपुरनगर
तहसील एवं जिला-जशपुर, छ. ग.

बनाम

छत्तीसगढ़ शासन

आदेश

(दिनांक 27 सितम्बर 2008 को पारित)

क्रमांक 999/वाचक-1/2008.—प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक टी. एन. उपाध्याय मुख्य प्रबंध ट्रस्टी गायत्री परिवार ट्रस्ट जशपुर द्वारा गायत्री परिवार ट्रस्ट जशपुर के पंजीयन हेतु ट्रस्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में ट्रस्ट के अचल सम्पति का विवरण एवं ट्रस्टियों की जानकारी प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार गायत्री परिवार ट्रस्ट जशपुर के नाम पर भूमि स्वामी हक में भू-खण्ड क्रमांक-333/2 रकबा 0.12 एकड़ जिस पर भवन एवं मंदिर निर्मित होना एवं भूमि व भवन का अनुमानित मूल्य 8,00,000 रुपये होना तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जशपुर में बचत खाता क्रमांक-758 में 1000-00 रुपये जमा होना उल्लेखित किया गया है. इस आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रारंभ किया गया.

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में लोक न्यास अधिनियम के प्रावधानों के तहत् इश्तहार/सूचना का प्रकाशन छ. ग. राजपत्र एवं दो दैनिक समाचार पत्रों में एवं निर्धारित स्थल पर कराया जाना निर्देशित किये जाने पर ईश्तहार/सूचना का प्रकाशन छ. ग. राजपत्र भाग-3 (1) के पृष्ठ क्रमांक 238, 239 में दिनांक 22-8-2008 को किया गया. इसी प्रकार ईश्तहार/सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र जनकर्म एवं केलो प्रवाह में दिनांक 18-8-2008 को किया जाकर उसकी कतरन (प्रति) प्रस्तुत की गई. ईश्तहार/सूचना का प्रकाशन ग्राम के सार्वजनिक स्थलों में भी किया गया. ईश्तहार /सूचना के राजपत्र, समाचार पत्र, एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशन किये जाने के बाद नियत समयावधि में किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई. अतः उक्त ट्रस्ट को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में मा।। जाकर तथा आवेदित भूमि को ट्रस्ट की भूमि होना मानकर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन किये जाने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करते हुए आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया. आवेदक द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नजूल नगर जशपुर में स्थित भू खण्ड क्रमांक-333/2 रकबा 0.12 एकड़ भूमि के मेन्टेनेन्स खसरा वर्ष 2007-2008 की सत्यप्रतिलिपि तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जशपुर के बचत खाता क्रमांक 758 की मूल प्रति छायाप्रति सहित प्रस्तुत किया गया. प्रस्तुत मेन्टेनेन्स खसरा के अनुसार आवेदित भूमि गायत्री परिवार ट्रस्ट हरिद्वार शाखा जशपुरनगर ट्रस्ट श्री राम शर्मा आ. रूपराम शर्मा साकिन सत्सरोवर हरिद्वार के नाम पर अभिलिखित है तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया जशपुर में उक्त बचत खाता जो गायत्री शक्ति पीठ जशपुर के नाम पर है उसमें 1000/-(एक हजार) रुपया जमा होना पाया गया.

3. प्रकरण में आवेदक का शपथपूर्वक बयान लिया गया. उसने अपने बयान में बताया कि श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट शांति कुन्ज हरिद्वार के द्वारा उन्हें गायत्री परिवार ट्रस्ट जशपुरनगर का मुख्य प्रबंध ट्रस्टी दिनांक 24-8-2006 को बनाया गया है. तब से वे गायत्री परिवार ट्रस्ट जशपुरनगर के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहें हैं. उनके अतिरिक्त ट्रस्ट के सहायक प्रबंध ट्रस्टी अजय मिश्रा एवं अन्य ट्रस्टी मदनलाल डेहरी, भूपेन्द्र थवाईत, काशीराम श्रीवास, नन्दकिशोर सिंह तथा मुकुन्द भगत हैं. गायत्री परिवार ट्रस्ट जशपुरनगर के नाम पर नजूल नगर जशपुर में भूखण्ड क्रमांक 333/2 रकबा 0.12 एकड़ भूमि स्थित है. जिस पर माँ गायत्री का मंदिर बना है इसके अलावा ट्रस्ट के नाम पर सेन्ट्रल बैंक जशपुर में खाता क्रमांक 758 में 1000/- (एक हजार) रुपया जमा है. इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के पास कोई चल एवं अचल सम्पति नहीं है. श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट शांतिकुन्ज हरिद्वार के निर्देशन में उक्त ट्रस्ट का गठन किया गया है तथा उन्हीं के निर्देशन में

लोक न्यास अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है. पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर छ. ग. राजपत्र, दैनिक समाचार पत्र, जनकर्म एवं केलो प्रवाह में ईश्तहार का प्रकाशन कराया गया है, ईश्तहार प्रकाशन के बाद किसी से कोई आपत्ति नहीं आई है. अत: उक्त ट्रस्ट का पंजीयन लोक न्यास अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जावे.

4. इस प्रकार आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जॉच अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत किये जाने पर तथा ईश्तहार/सूचना का प्रकाशन छ. ग. राजपत्र, दैनिक समाचार पत्रों एवं सार्वजनिक स्थल पर किये जाने के कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का समग्र रूप से सूक्ष्म परीक्षण किये जाने पर आवेदित ट्रस्ट को लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत् पंजीबद्ध किये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है. फलस्वरूप लोक न्यास अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत् आवेदित ट्रस्ट का पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाना आदेशित किया जाता है :-

शर्तें :-

(1) ट्रस्ट के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी को निर्देशित किया जाता है कि ट्रस्ट की आय से प्राप्त समस्त राशि किसी अधिसूचित बैंक अथवा पोस्ट आफिस के सेविंग बैंक खाते में रखा जाकर उसका हिसाब उचित रीति से रखा जावेगा.

(2) रजिस्ट्रार लोक न्यास की पूर्व अनुमति के बिना ट्रस्ट की भूमि का कोई भाग न तो विक्रय किया जायेगा न गिरवी रखा जावेगा और न ही किसी को दान में दिया जायेगा. विक्रय किये जाने, गिरवी रखे जाने अथवा दान में दिये जाने की स्थिति में रजिस्ट्रार लोक न्यास से लिखित में अनुमति लेना आवश्यक होगा.

(3) ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक को ट्रस्ट की चल व अचल सम्पति का नियमित हिसाब रखना होगा जिसे रजिस्ट्रार के मॉगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा.

(4) लोक न्यास अधिनियम की धारा 15 में दिये गये निर्देशानुसार न्यास के आय व्यय के अंकेक्षक किसी सक्षम अंकेक्षक से प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को कराया जाकर उसकी प्रति पंजीयक लोक न्यास को प्रस्तुत किया जावेगा.

(5) ट्रस्ट द्वारा आदेश में उल्लेखित उपरोक्त शर्तों का पालन किया जाकर ट्रस्ट निर्धारित नियमों के अन्तर्गत अपना कार्य संचालित करता रहेगा.

ट्रस्ट का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है

1.	ट्रस्ट का नाम	:-	गायत्री परिवार ट्रस्ट जशपुरनगर
2.	ट्रस्ट के कार्यालय का पता	:-	गायत्री परिवार ट्रस्ट जशपुरनगर, पोस्ट-जशपुरनगर तहसील एवं जिला-जशपुरनगर, छ.ग.
3.	मुख्य प्रबंध ट्रस्टी का नाम	:-	श्री टी. एन. उपाध्याय वल्द स्व. मंगला प्रसाद उपाध्याय निवासी-जशपुरनगर (छ. ग.)
4.	वर्किंग ट्रस्टी का नाम	:-	1. श्री अजय मिश्रा, सहा. प्रबंध ट्रस्टी 2. श्री मदनलाल डेहरी ट्रस्टी 3. श्री भूपेन्द्र थवाईत ट्रस्टी 4. श्री काशीराम श्रीवास ट्रस्टी 5. श्री नन्दकिशोर सिंह ट्रस्टी 6. श्री मुकुन्द भगत ट्रस्टी
5.	ट्रस्ट की सम्पति का विवरण	:-	ग्राम जशपुर, तहसील-जशपुर स्थित भू खण्ड क्रमांक -333/2 रकबा 0.12 एकड़

6.	चल सम्पति का विवरण	:-	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा-जशपुर में बचत खाता क्रमांक-758 में 1000/-(एक हजार रुपये मात्र) नगद जमा.
7.	आवेदन देने की तिथि से ट्रस्ट की सम्पति से प्राप्त 03 वर्षों की आय.	:-	35000/-(पैंतीस हजार रुपये मात्र)

तदनुसार आदेश पारित एवं घोषित.

एस. आर. कुर्रे,
अनुविभागीय अधिकारी (सिविल) एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, सूरजपुर, जिला-सरगुजा (छ. ग.)

सूरजपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2008

वि. प्र. क्र. बी./121/07-08

प्रारूप-पांच
[नियम 5(1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 का नियम-5 उपनियम (1) देखिए]

क्रमांक 582/वाचक-1/08.— क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिये लोक न्यास है, और उसका गठन करती है.

अत: मैं अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास सूरजपुर का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 30-10-2008 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जॉच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना और मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	शिव मंदिर ट्रस्ट गणेशपुर (भगवानपारा डुगडुगिया) रा. नि. मं. रामानुजनगर तहसील-रामानुजनगर, जि.-सरगुजा (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

ए. एल. ध्रुव,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 5 नवम्बर 2008

क्रमांक/उपंको/परि./2008/705.—गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्या. गोपालपुर, वि. खं.-पाली, पंजी. क्रमांक 3871 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./उपंको/परि./2008/615/कोरबा, दिनांक 15-09-08 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड-पाली को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्या. गोपालपुर की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) एवं. म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/1/99/पन्द्रह भोपाल दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्या. गोपालपुर, वि. खं.-पाली को पंजीयन क्रमांक 3871 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 5 नवम्बर 2008

क्रमांक/उपंको/परि./2008/706.—गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्या. बम्हनीकोना, वि. खं.-पाली, पंजी. क्रमांक/3868 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./उपंको/परि./2008/615/कोरबा, दिनांक 15-09-08 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड-पाली को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्या. बम्हनीकोना की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/1/99/पन्द्रह भोपाल दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का अधिकारों का जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्या. बम्हनीकोना, वि. खं.-पाली को पंजीयन क्रमांक 3868 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर, दिनांक 8 अक्टूबर 2008

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपजां/परि./08/787.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परि./110/ दिनांक 7-2-08 के द्वारा कृषक सिंचाई प्रबंधन सहकारी समिति मर्या., नरियरा, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 197 दिनांक 7-12-96 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर. के. कौशिक पद स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

अन्य सूचनाएं

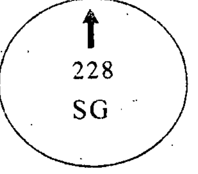
वन मण्डलाधिकारी, पूर्वी सरगुजा वन मण्डल, अम्बिकापुर (छ. ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2008

क्रमांक /मा. चि. /219.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्वी सरगुजा वनमंडल अम्बिकापुर के अन्तर्गत परिक्षेत्र धौरपुर के अंतर्गत बीट हैमर मलगवां परिसर रक्षक श्री नीलम राजू खलखो द्वारा जंगल भ्रमण के दौरान दिनांक 27-09-08 को अज्ञात स्थान पर गुम गया. अत: वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त हैमर को वनमंडल के स्टाक से अपलेखित किया जाता है. उक्त हैमर की राशि रुपये 50/- (पचास रुपये मात्र) श्री नीलम राजू खलखो बीट मलगवां परिक्षेत्र धौरपुर के देय स्वत्वों से वसूल करने का आदेश स्वीकृत किया जाता है तथा हैमर उनकी लापरवाही से गुम होने के फलस्वरूप उन्हें चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

यदि उपरोक्त हैमर किसी व्यक्ति को मिले तो वह निकटतम थाने अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें. यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त हैमर का उपयोग करते पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत अभियोग चलाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागी होगा.

सी. एल. अग्रवाल,
वनमण्डलाधिकारी.



कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 30 सितम्बर 2008

क्रमांक/संपंदु/परिसमापन/2008/914.— मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्यादित ठेंगाभाठ पं. क्र.-2487 जिला-दुर्ग को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक /संपंदु/परिसमापन/2008/798 दिनांक 03-9-2008 दिया गया था. जिसका उत्तर संस्था अध्यक्ष ने अपने पत्र दिनांक 11-9-2008 प्रस्तुत किया. संस्था अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं अन्य संलग्नकों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट अभिमत प्रदान करने हेतु पत्र क्रमांक/संपंदु/परिसमापन/08/899 दिनांक 25-9-2008 द्वारा उप संचालक मत्स्योद्योग दुर्ग को पत्र लिखा गया. उप संचालक मत्स्योद्योग दुर्ग के द्वारा अपने पत्र क्रमांक/1763/सह. समि./ उ. स. म./मत्स्यो. विभाग दिनांक 27-9-2008 के द्वारा अभिमत दिया गया. जिसके आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या. ठेंगाभाठ पं. क्र.-2487 विगत 3 वर्षों से एक भी तालाब नहीं है तथा अकार्यशील हो गया है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल हो गया है. ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, उमेश तिवारी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्राप्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(3) में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या. ठेंगाभाठ पं. क्र.-2487 को परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) अन्तरलिंखित प्रावधानों के तहत् श्रीमती शोभा गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, धमधा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. श्रीमती शोभा गुप्ता, स. वि. अ., छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करें

यह आदेश आज दिनांक 30-9-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

उमेश तिवारी,
सहायक-पंजीयक.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. के. ठाकुर, प्र. उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर, छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/1/5/99/एफ-15 दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 8-10-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 8 अक्टूबर 2008

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपजां/परि./08/788.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परि./122/ दिनांक 7-2-08 के द्वारा प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., कटघरी, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 127 दिनांक 29-11-91 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर. के. कौशिक पद स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. के. ठाकुर, प्र. उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर, छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/1/5/99/एफ-15 दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 8-10-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 8 अक्टूबर 2008

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपजां/परि./08/789.—इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक /परि./539/ दिनांक 24-7-08 के द्वारा बजरंग विविध उद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मालखरौदा, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 1962 दिनांक 16-3-58 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एन. पी. बर्मन पद स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. के. ठाकुर, प्र. उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर, छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/1/5/99/एफ-15 दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 8-10-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 8 अक्टूबर 2008

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपजां/परि./08/790.—इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक /परि./543/ दिनांक 25-7-08 के द्वारा उत्खनन सहकारी समिति मर्या., अमलीपाली, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 182 दिनांक 18-9-92 है, को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर. के. कौशिक पद स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. के. ठाकुर, प्र. उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर, छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/1/5/99/एफ-15 दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 8-10-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. के. ठाकुर,
प्र. उप पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/2015.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1964/बिलासपुर दिनांक 5-10-2007 के तहत विकास प्राथ. उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, विकास नगर बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3630 दिनांक 28-2-95 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत श्रीमति शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-10-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/2067.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1750/बिलासपुर दिनांक 24-6-95 के तहत बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, मल्हार, पंजीयन क्रमांक 2760 दिनांक 20-11-63 विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत श्री बी. आर. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-10-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/2068.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/317/बिलासपुर दिनांक 2-3-2007 के तहत खदान कामगार सहकारी समिति मर्यादित, मुंगेली (बरेला), पंजीयन क्रमांक 3759 दिनांक 17-9-96 विकासखण्ड मुंगेली, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत श्री आई. एस. तंवर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मुंगेली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-10-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/2069.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1966/बिलासपुर दिनांक 5-10-2007 के तहत गुरू कृपा उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, तात्या टोपे नगर बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3635 दिनांक 28-2-95 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत श्री एम. के. बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-10-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/2070.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/765/बिलासपुर दिनांक 20-6-2006 के तहत ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्यादित, भाड़ी, पंजीयन क्रमांक 3536 दिनांक 22-7-94 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत श्री के. ए. खान, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-10-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/2081.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1750/बिलासपुर दिनांक 24-6-95 के तहत बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, जांजी, पंजीयन क्रमांक 2742 दिनांक 3-1-60 विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत श्री बी. आर. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 5-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/2083.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1001/बिलासपुर दिनांक 18-8-2005 के तहत रेत खनिज सहकारी समिति मर्यादित, दर्रीघाट, पंजीयन क्रमांक 3781 दिनांक 25-9-96 विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत श्री बी. आर. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 5-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/2087.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/779/बिलासपुर दिनांक 27-6-2006 के तहत आदिवासी मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, ड़ोडकी, पंजीयन क्रमांक 3608 दिनांक 22-2-95, विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत श्री बी. आर. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तुरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 5-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2008.